



बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. प्रश्नगत आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या 3391/60-2-15-2/3(12)/07टी0सी0 दिनांक 20 जनवरी, 2016 द्वारा निर्गत दरों के आधार पर कन्वर्जेंस के माध्यम से किया जा रहा है। अतः उक्त आवंटित धनराशि के अतिरिक्त धनराशि शासनादेश संख्या 2675/60-2-16-2/1(26)/12 दिनांक 19.10.2016 में निर्गत निर्देशों के क्रम में ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत मनरेगा एवं पंचायती राज विभाग द्वारा अपने सुसंगत अनुदान से वहन किया जायेगा।
12. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-49 के अधीन लेखाशीर्षक "4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत व्यय-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0103-आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण(के060/रा040-के+रा)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

आवंटित धनराशि की प्रविष्टि आवंटन/वितरण रजिस्टर के पृष्ठ सं0 72 पर कर ली गयी है।

संलग्नक : यथोपरि।

(विश्वजीत कुमार दास)  
अपर निदेशक (वित्त)।

पृष्ठांकन सं0 सी- 1670/तददिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. अनु सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश शासन।
4. सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. योजना अधिकारी, मुख्यालय।
6. वेब अधिकारी, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त बजट वेबसाईट पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(विश्वजीत कुमार दास)  
अपर निदेशक (वित्त)।